

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, मेसर्स रायगढ़ माईनिंग एण्ड बेनीफिकेशन प्रा. लि. को जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर चांपा वनमंडल अंतर्गत केशर खदान में आवागमन के लिए रोड़ निर्माण हेतु ग्राम छितापंडरिया के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 42 के रकबा 0.997 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Date : 25 -01-2023

Place : Raipur

Name -

Designation -

Signature
25/01/23

PREM KUMAR
Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Forest & Climate Change Dept.
Mamalsurmanadi Bhawan
Nawa Raipur, Atal Nagar

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-21/2022/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27 /01/2023

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषय: — जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर-चांपा वनमंडल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Raigarh Mining & Benefication Private Limited द्वारा Conservation of Road for Raigarh Mining हेतु रकबा 0.997 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भ:— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-906/2578, दिनांक 11.11.2022 तथा पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-906/2974, दिनांक 21.12.2022 ।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र — मेसर्स रायगढ़ माईनिंग एण्ड बेनीफिकेशन प्रा. लि. द्वारा जांजगीर चांपा वन मंडल अंतर्गत केशर खदान में आवागमन के लिए रोड़ निर्माण हेतु ग्राम छितापंडरिया के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 42 के रकबा 0.997 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है ।	1 – 8
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) — वनमंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा वन मंडल द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक—FP/CG/ROAD/145811/ 2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.06.2022 के आधार पर की जाती है । पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29000 रुपये जमा कराया गया है ।	9 – 12
3	वन क्षेत्र का विवरण — जांजगीर चांपा वन मंडल अंतर्गत कक्ष क्रमांक आर. एफ.—42 में रकबा 0.997 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है ।	13 – 14
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण — प्रस्तावित क्षेत्र में जांजगीर-चांपा वन मंडल अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है ।	15– 16
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर — प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है ।	17–18
6	वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप — वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है ।	19 – 20

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
7	प्रपत्र - 4 में प्रस्ताव - प्रपत्र - 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 0.997 हे. वन भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 20.00 लाख बतायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.6 है।	21 - 28
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप - जांजगीर चांपा वन मंडल अंतर्गत केशर खदान में आवागमन के लिए रोड़ निर्माण हेतु ग्राम छितापंडरिया के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 42 के रकबा 0.997 हे. वन भूमि के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।	29 - 34
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र - यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	35 - 36
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र - प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वनमंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	37 - 40
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र - पर्यावरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 अनुक्रम में अधिसूचना 2006 के संशोधन दिनांक 22.08.2013 के अधिसूचना के अंतर्गत आवश्यक नहीं है तदाशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	41 - 42
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र - अ एवं ब में) - ग्राम छितापंडरिया के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 42 के रकबा 0.997 हे. में जांजगीर-चांपा वनमंडल में प्रस्तावित क्षेत्र वृक्ष विहीन है।	43 - 44
13	कास्ट, बेनिफिट एनालिसिस - प्रस्तावित परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।	45 - 46
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल/ मानचित्र/सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) - राजस्व वन क्षेत्र - प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि / निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है।	47 - 48
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा - प्रकरण 1.00 हे. से कम होने के कारण एवं वृक्ष विदोहन नहीं होने के कारण वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में नियमानुसार 100 पौधों का रोपण हेतु राशि जमा करने हेतु आवेदक वचनबद्ध है। अतएव गैर वन क्षेत्र के आस-पास का नक्शा की आवश्यकता नहीं है।	49 - 51
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना - आवेदित वन भूमि 0.997 हे. क्षेत्र में वृक्षों का विदोहन नहीं होना है। आवेदक संस्थान के कथन अनुसार स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 07 वर्षीय मय उपचार मानचित्र अक्षांश, देशांस प्रजाति विवरण सहित) जो असिंचित क्षेत्र चयनित होगा उसका वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जावेगा।	52 - 54
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र - बिन्दु क्रमांक-16 में दर्शाये अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण नहीं होने से उपयुक्तता प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।	55 - 57
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण - वनमंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा वनमंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	58 - 59

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।	60
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।	61 – 62
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – मेसर्स रायगढ़ माईनिंग प्रा. लि. डूमरपारा द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण परियोजना जांजगीर-चांपा वनमंडल, चांपा वनपरिक्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा 0.997 हे. जो कि 1.00 हे. से कम एवं वृक्ष विहीन है। अतएव प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शिका हैण्ड बुक के पृष्ठ क्रमांक 48 के पैरा 2.6 (1) के अनुसार किया जावेगा। अतएव गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	63 – 64
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – व्यपवर्तन प्रस्ताव मार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं होगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।	65 – 66
23	रिक्लेमेशन प्लान – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	67
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	68 – 69
25	व्यवस्थापन प्लान – प्रस्ताव किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	70
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – भाग-2 पर वनमंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमंडल द्वारा दिनांक 09.10.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा वनमंडल के अनुशंसा से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 13.10.2022 से प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	71 – 81
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा वनमंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	82 – 83
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक एफ 5-20/2007/02 दिनांक 12.01.2010) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ. नं. / 11-43/2013-एफ. सी. दिनांक 26.02.2019 के अंतर्गत रेखांकित परियोजना में आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।	84 – 85
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – जांजगीर-चांपा जिले का कुल वन भूमि 250.066 वर्ग कि.मी. है।	86 – 87
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – जांजगीर-चांपा वनमंडल में कुल स्वीकृत 10 प्रकरण में 219.783 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	88 – 89

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – जांजगीर-चांपा वनमंडल में कुल रकबा 3.592 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।	90 – 91
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। वनमंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा वनमंडल का एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	92 – 93
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	94 – 95
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वितीय चरण स्वीकृति के पूर्व जमा किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	96 – 99
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। अतः कलेक्टर जांजगीर-चांपा का राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	100 – 101
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	102 – 103
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	104 – 105
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – प्रस्तावित स्थल का उपजाऊ छमता एवं वनस्पति की मात्रा काफी कम है उक्त प्रस्तावित भूमि Edaphic Features का होने के कारण गैर वानिकी उपयोग हेतु दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।	106 – 107
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वनमंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा वनमंडल के द्वारा दिया गया है।	108 – 109
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	110
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।	111 – 113
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – प्रस्तावित परियोजना मार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वनमंडलाधिकारियों का एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	114 – 115
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	116 – 117

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
44	प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण – संलग्न है।	119

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।
संलग्न: – प्रस्ताव 1 प्रति में।

K. Raju
23.1.23
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,

K छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/01/2023

पृ.क्रमांक एफ 5-21/2022/10-2

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़,।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमंडल, छत्तीसगढ़।
4. **Director, Raigarh Mining & Beneficiation Private Limited, Hatri Chowk, Sariya District-Raigarh, Chhattisgarh.**
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

K. Raju

अवर सचिव,
K छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

06